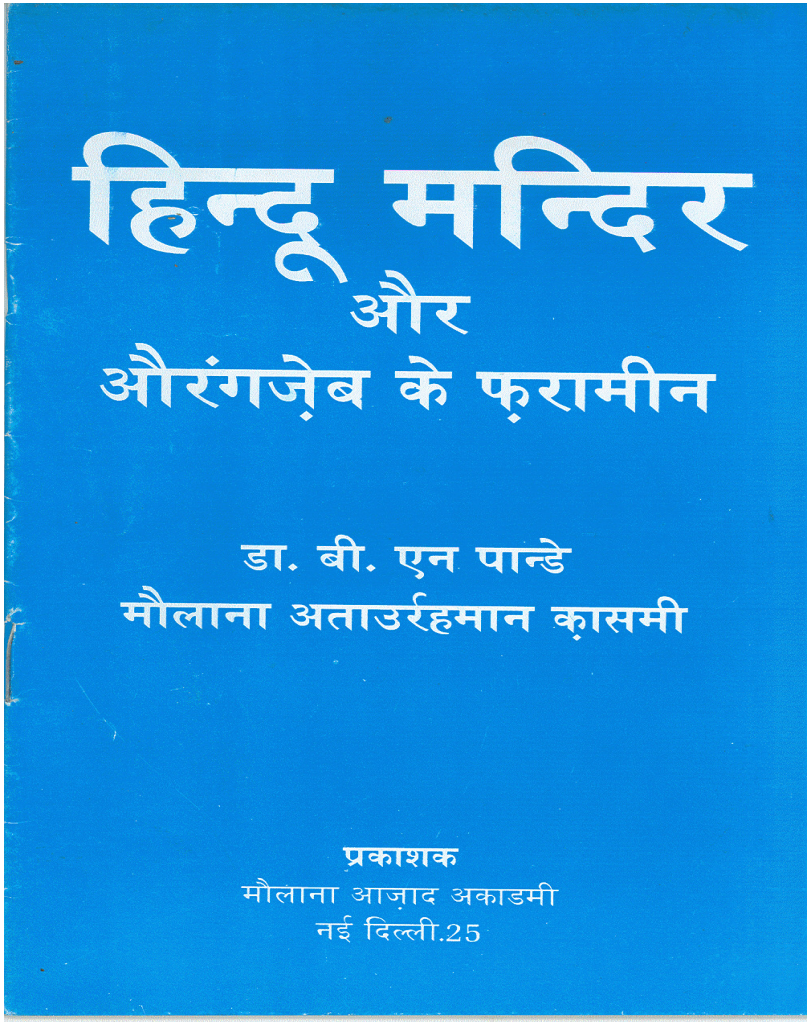


www.shahwaliullah.in - shahwaliullah_institute@yahoo.in

“hindu mandir aur aurangzeb ke farameen” Urdu + Hindi e-book:>

umarkairanvi@gmail.com

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन


| | | |
|---|---|---|
| पुस्तक का नाम | : | हिन्दू मन्दिर और औरंगज़ेब के फ़रामीन |
| संकलन | : | मौलाना अताउर्रहमान क़ासमी |
| क्म्पोजिगं | : | तबरेज़ आलम क़ासमी |
| मूल्य | : | 20 |
| प्रकाशन | : | अगस्त 2003 |

**प्रकाशक**

मौलाना आज़ाद अकाडमी
एन.80,सी अबुल फ़ज़ल इन्क्लेव ओखला,
नई दिल्ली. 110 025


# विषय सूची


| | | |
|---|---|---|
| 1- | दो बातें | 4 |
| 2- | हिन्दू मन्दिर और औरंगज़ेब के फ़रामीन | 15 |
| 3- | गोहाटी का मन्दिर | 23 |
| 4- | उज्जैन का महाकालेशवर मन्दिर | 24 |
| 5- | शतरंजा और आबू मान्दिर | 25 |
| 6- | गिरनार और आबु जी | 28 |
| 7- | विशवनाथ मन्दिर बनारस के ध्वस्त का असल कराण | 28 |
| 8- | जामा मस्जिद गोलकुन्डा का ध्वस्त होना | 30 |
| 9- | फ़रामीन का अनुवाद | 31 |
| 10- | पहला फ़रमान | 31 |
| 11- | दूसरा फ़रमान | 32 |
| 12- | तीसरा फ़रमान | 33 |
| 13- | चौथा फ़रमान | 34 |
| 14- | पांचवा फ़रमान | 34 |
| 15- | छटा फ़रमान | 35 |
| 16- | मन्दिरों की संरझरना | 36 |
| 17- | आखिरी बात | 39 |

# दो बातें

आलमगीर औरंगजेब और शहीदे वतन टीपू सुलतान भारतीय इतिहास की वे दो पीड़ित व मज़लूम हस्तियाँ हैं जिन्हें अंग्रेज इतिहासकारों और ब्रिटिश कार्यकाल के जिला गजट के सम्पादकों ने बुत शिकन हिन्दूकुश और बर्बर व अत्यचारी बादशाह के रूप में परिचित कराया है। इसी के साथ सबसे आश्चर्य जनक बात यह है कि आज़ाद हिन्दुस्तान के गुलाम इतिहास कारों ने उसे ज्यों का त्यों स्वीकार भी कर लिया है। जैसा कि मौलाना शिब्ली नोमानी ने कहा है।

तुमहें ले दे के सारी दास्तान में याद है इतना

कि आलमगीर हिन्दु कुश था जालिम था सितमगर था।

सही बात तो यह है कि इन दोनों शासकों ने अपने कार्यकाल में हिन्दू जनता के साथ ऐसा सद व्यवहार किया है जिसका उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता।

औरंगजेब और टीपू सुलतान को पक्षपाती व संकीर्ण विचारों वाला कहने वाले ये इतिहासकार और विश्व विधालयों के प्रोफैसर यह भूल जाते हैं कि उनके कार्यकाल में मन्दिरों और गुरुद्वारों को जितनी जागीरें दी गयी हैं, शायद ही किसी और राजा व महाराजा के जमाने में दी गई हों, दूर जाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं लाल किला के सामने चादनी चौक के पूर्वी किनारे स्थित जैन मन्दिर के पुजारी को औरंगजेब की ओर से बाकायदा वजीफा दिया जाता था और यह सिलसिला मुगल शासन के अन्तिम चराग बहादुर शाह



जफर तक जारी रहा और उस मन्दिर के मुख्यद्वार पर फारसी की एक शिलालेख 1947 ईसवी के बहुत बाद तक लगी रही है जिसे देखने वाले आज भी देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, औरंगजेब ने तुरहत (बिहार) का भी दौरा किया था।

चम्पारन के प्रसिद्व एतिहासिक स्थान लौरिया भी गया था जो कभी बौद्वों का केन्द्र है। कहा जाता है कि यहां गौतम बुद्व भी आए थे। आज भी वहां बौद्धों के निशानात मौजूद हैं। लौरिया में स्थित महाराजा अशोक की लाट पर दक्षिणी दिशा में लगभग डेढ़ फिट ऊपर कलिमा तय्यबा भी लिखा हुआ है और इसके बिल्कुल बराबर में नीचे की ओर अत्यन्त सुन्दर लेखनी में मुहियुददीन औरंगज़ेब आलमगीर गाज़ी 1071 हिजरी लिखा हुआ है। आलमगीर ने शायद इसी सफर के दौरान चनपटया मठ, अरेराज मठ और इन्दरवा मठ को भी जागीरें दी थी। आज भी इन मठों के नाम कई कई हज़ार बीघा जमीन है और इनके असल महन्तों के पास औरंगज़ेब के फरामीन सुरक्षित हैं और इनमें से कुछ फरामीन की नकलें चम्पारन के प्रसिद्ध वकील अजीज़ साहब के पास भी हैं जो मठों की जमीनों के विवादों के अवसर पर अदालत में दाखिल किए गए थे। यह उन दिनों की बात है हब आदर्णीय हाशिमी साहब मठ के मुकदमों की सुनवाई कर रहे थे।

प्रसिद्ध एतिहासिक जिला मुंगेर में खान्काह रहमानी से थोड़ी दूरी पर सीता कुंड है जहां गर्म पानी का सोता उबलता है जो एक मनोरंजक स्थल है जिसे देखने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों से लोग आते हैं। मझे भी वहां जाने का अवसर मिला है। जब मैं वहां पहुंचा तो सीता कुंड के संरक्षक पंडितों ने मुझ से बताया कि सीता कुंड के लिए औरंगजेब बादशाह ने शायद 70 बीघा जमीन प्रदान की है। हमारे बडे पंडित के पास आलमगीर का शाही फरमान मौजूद है।

फ़ारसी के प्रसिद्ध अदीब (लेखक) जनाब प्रोफ़ैसर शरीफ़ हूसैन क़ासमी साहब अध्यक्ष फ़ारसी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझ से बताया कि पिछले साल किसी ने एक अंग्रेज औरत को (जो वास्तव में एक रिसर्च स्कालर थी) मेरे पास भेज दिया जब वह मेरे पास आयी तो वह क़हने लगी कि मैं मुस्लिम शासकों की ओर से मन्दिरों को दी गयी जागीरों के बारे में फ़रामीन पर काम कर रही हूं। इस सबंध में मैने हरियाणा के मन्दिरों और मठों का सर्वे किया है, मैंने हर प्रचीन मन्दिर के पुजारी से सम्पर्क स्थापित किया और उनसे मालूम किया कि आपके पास कोई शाही आदेश पत्र हो तो कृपया मुझे उसे दिखाएं। मुझे अंग्रेज समझकर हर मन्दिर के पुजारी अपने अपने मन्दिर के पुराने कागज़ात लाते थे मैं अपने कैमरे से उनका फोटो खींच लेती थी और असल मसविदा उनको वापस कर देती थी, चलते समय थोड़ा बहुत पैसा भी दे देती थी जिस से वे खुश हो जाते थे। मैं आपसे चाहती हूं कि इन फ़रामीन का सार लिख दें, मैं फ़ारसी नहीं जानती हूं।

उन्होंने उस अंग्रेज औरत से कहा कि मैं दो तीन दिन में इन फ़रामीन का खुलासा तैयार कर दूंगा। आप दो तीन दिन के बाद आकर ले जाएं।

प्रोफ़ैसर शरीफ़ हुसैन क़ासमी ने इन फ़रामीन की फोटो कापीयों को अपने खाली समय में देखना शुरु किया। इनमें से कुछ फ़रामीन हिन्दी में थे और कुछ संस्कृत में थे और अधिक्तर फ़ारसी में थें। इन फ़ारसी फ़रामीन का सार लिखने के बाद उनको गिना तो वे कुल तीन सौ फ़रामीन थे। ये केवल हरियाणा के मन्दिरों को मुस्लिम शासकों व उमरा की तरफ़ से दिए गए थे। जो उपहार और जागीरों से संबंधित थे वायदा के अनुसार दो तीन दिन के बाद जब वह अंग्रेज औरत आयी तो प्रोफ़ैसर ने इन सारे फ़रामीन का जो खुलासा तैयार कर रखा था उन्हें पेश कर दिया जिससे वे



बड़ी प्रभावित हुई और इसके लिए कुछ धन देना चाहा तो प्रोफ़ैसर शरीफ़ हुसैन क़ासमी साहब ने अपनी ख़ानदानी व स्वभाविक शराफ़त का सबूत देते हुए फ़रमाया कि मैं विदेशी लोंगों से कोई राशि नहीं लेता हूं जिससे वह बहुत प्रभावित हुई।

मसला यह है कि जब हरियाणा से तीन सौ असली फ़रामीन मिल सकते हैं जो एक छोटा सा राज्य है तो पूरे हिन्दुस्तान में कितने फ़रामीन होंगे? इसकी सही तादाद का अन्दाज़ा देश के तमाम मन्दिरों और गुरुद्वारों का सर्वे करने के बाद ही किया जा सकता है मगर सवाल यह है कि यह मुश्किल व कठिन कार्य कौन करेगा और वह भी ऐसे दौर में जबकि पक्षपात एवं संकीर्णता का माहौल अपने ज़ोरों पर है।

प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधी वादी लीडर डाक्टर बिशम्बर नाथ पांडे पूर्व गवर्नर उड़ीसा ने डाक्टर तेज बहादुर सप्रू के कहने से आलमगीर औरंगज़ेब की ओर से हिन्दू मन्दिरों को दिए गए फ़रामीन व दस्तावेज़ (जागीर व उपहार के तौर पर) पर काम किया था डाक्टर साहब ने बड़ी मेहनत व लगन के साथ देश के विभिन्न मन्दिरों से आलमगीरी फ़रामीन हासिल किए और इनको देश वासियों के सामने पेश किया जिनकी रोशनी में औरंगज़ेब का एक नया चेहरा देश के सामने आया।

डाक्टर बी. एन. पान्डे ने 29 जनवरी 1977 को भारतीय लोक सभा में अंग्रेज इतिहास कारों की शरारतों व बिगाड़ पर अपने विचार व्यक्त करते हुए औरंगज़ेब को बुतों को तोड़ने वाला व हिन्दुओं की हत्या करने वाला कहने की बजाए मन्दिरों और गुरुद्वारों को जागीरें और उपहार प्रदान करने वाले बादशाह के रूप में पेश किया तो तमाम सांसद हैरत का शिकार होकर रह गए और किसी के अन्दर उनका विरोध करने का साहस न हो सका था।

डाक्टर बी. एन. पान्डे ने आलमगीर की तरह शहीद टीपू

सुलतान पर भी एक बहुत बड़ा शोध कार्य किया और इस स्वतंत्रता सैनानी व मुजाहिद पर अंग्रेजों की ओर से लगाए गए आरोप व तोहमतों का सतर्क जवाब दिया। बड़े दुख व अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक लम्बे समय से योजनाबद्ध तरीके से हिन्दुस्तान के मुसलमान शासकों के उज्जवल व उनकी स्वच्छ तारीख को विकृत करने की नापाक साजिश की जाती रही है और कैसे कैसे प्रसिद्ध व समझदार इतिहास कार, प्रोफैसर केवल सुनी सुनायी बातों को नकल करके नयी नसल जेहन व मास्तिष्क को दूषित करते रहे हैं और हिन्दू मुस्लिम एकता व वातावरण को खराब करते रहे हैं जिसको स्वयं पांडे जी की जबानी सुनिए.....

"उसी तरह टीपू सुलतान के बारे में भी नयी रोशनी मिली, 1928 में मैं टीपू सुलतान के बारे में इलाहाबाद में कुछ एतिहासिक कार्य कर रहा था। एक दिन दोपहर को एंग्लो बंगाली कालेज के कुछ छात्र आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि मैं उनकी ऐसोसिएशन का उदघाटन कर दूं। चूंकि वे कालेज से सीधे आए थे तो उनके साथ उनकी पुस्तकें भी थी। मैं उन किताबों में से हिन्दुस्तान के इतिहास नामक पुस्तक के पन्ने उलटने लगा। जब मैं टीपू सुलतान के पाठ पर पहुंचा तो देखा उसमें लिखा था... तीन हजार ब्राहमनों ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि टीपू सुलतान उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था। मैंने इतिहासकार का नाम देखा तो लिखा था महा महोपाध्य डाक्टर हर प्रसाद शास्त्री कलकत्ता विश्व विद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं।

दूसरे दिन ही मैने उनको पत्र लिखा और उनसे विनती की कि कृपया मुझे यह बताएं कि यह घटना उन्होंने कहां से ली, चार बार पत्र लिखकर याद दिलाने पर उन्होंने मुझे



सूचित किया कि यह घटना उन्होने मैसूर गज़ट से ली है।

मैसूर गजट का कोई संस्करणा न इलाहाबाद में मिला और न ही कलकत्ता में, मैंने डाक्टर (तेज बहादुर) सप्रू के मश्विरे से उसके बारे में मैसूर के दीवान सर मिर्ज़ा इसमाईल को पत्र लिखा। सर मिर्ज़ा इसमाईल ने मेरा पत्र विश्व विद्यालय के उपकुलपति सर ब्रिजेन्द्रर नाथ सेल के पास भेज दिया। सेल साहब ने मुझे सूचना दी कि मेरा वह पत्र उन्होंने प्रोफैसर श्री कान्तिया के पास भेजा है जो इस समय मैसूर गजट का संम्पादन कर रहे हैं, एक सप्ताह बाद प्रोफैसर श्री कान्तिया ने मुझे सूचना दी कि मैसूर गजट में तो यह घटना कहीं भी नहीं है। इतिहास की वह पुस्तक उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम के हाई स्कूल की पाठय पुस्तक थी लाखों मासूम लड़के इस पुस्तक को पढ़ते हैं इस घटना से उनके दिल व दिमाग पार कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा?

मैंने प्रोफैसर श्री कान्तिया को लिखा कि वे कृपा करके मुझे सूचित करें कि टीपू सुलतान किस प्रकार पक्षपाती था? मुझे बताया गया कि टीपू सुलतान का सेनापति कृष्णा राव ब्रहमन था और उसका प्रधानमंत्री पूर्णिया था यह भी ब्राहमन था। प्रोफैसर श्री कान्तिया ने 156 मंन्दिरों की सूची भेजी जिन्हें टीपू सुलतान हर साल तोहफे और चढावा भेजा करता था। स्वयं टीपू सुलतान के किले के अन्दर श्री रंगनाथ का मन्दिर था।[1] मुझे श्री नगरी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य के टीपू सुलतान के नाम लिखे

(1) 28 अकटूबर 2000 ई को मैं आल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के चौदहवें आर्घवेशन में भाग लेने के लिए बैंगलौर गया तो भाई अताऊर्रहमान साहब के आग्रह पर भाई खलीलुर्रहमान साहब के साथ मैसूर भी गया। डाक्टर नासिर साहब के घर ठहरे। मैसूर के एतिहासिक स्थानों को देखा।

हुए एक दर्जन कन्नड़ भाषा के पत्रों की फोटो कापी भेजी गयी जिससे पता चलता था कि आचार्य और टीपू सुलतान में बड़ी गहरी मौहब्बत थी। अपने ज़माने के हिन्दुस्तान के राजाओं और नवाबों में टीपू सुलतान और उसके बाप ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी को धोखा नहीं दिया। टीपू सुलतान के साथ अुग्रेजों की कई बार जगं हुई और अन्त में एक बहादुर देश भक्त की तरह लड़ते हुए उसने शहादत हासिल की, अज्ञात लाशों के ढेर से जब उसे खोज कर निकाला गया तो अंग्रेज जनरल ने देखा कि उसने तलवार की मूठ को बड़ी मज़बूती से पकड़ रखा था।

मैंने ये सारी पत्र–व्यवहार कलकत्ता विश्व विद्यालय के उपकुल पति को भेजी और उनसे प्रार्थना की कि यदि वे इस पत्र व्यवहार से सन्तुष्ट हैं कि शास्त्री की पुस्तक में दी गयी घटना ग़लत है तो इस पर कार्यवाही करें वर्ना यह पत्र–व्यवहार मुझे वापस कर दें। फिर जल्द ही उपकुल पति का जवाब आ गया बल्कि इसी के साथ साथ उनका आदेश पत्र भी आया कि शास्त्री की इतिहास की पुस्तक हाईस्कूल के पाठय क्रम से निष्कासित की जाती है।[1]..

इस संबध में थोड़ा स्पष्टी करण ज़रूरी है कि 14 फ़रवरी

---

टीपू सुलतान के किले मे जहां एक ऐतिहासिक मस्जिद है वही एक प्राचीन मन्दिर भी है। यदि टीपू सूलतान बुत शिकन और पक्षपात करने वाला होता तो उसके किले मे श्री रंगनाथ का महान मन्दिर कैसे सुरक्षित रह जाता। मुझे किले के अन्दर इस मन्दिर को देखकर टीपू सुलतान की मजलूमियत पर बडी दया आयी और सोचा कि आजकल मुसलमानों और मुस्लिम बादशाहों का चरित्रहनन किस प्रकार किया जा रहा है (कारमी)

(1) हिन्दुस्तान मे कौमी यकजहती की रिवायत–19



1992 को मेरी पुस्तक अलवाहुस्सनादीद भाग–2 को पेश करते समय डाक्टर बी. एन. पान्डे ने भारतीय इतिहास में संशोधन एवं परिवर्तन के विषय पर एक बड़ा महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें यह दिलचस्प घटना भी बतायी (जिससे प्रोफ़ैसर हर प्रसाद शास्त्री की शरारत व फित्ने फैलाने की बात का पता लगता था) कि "मेरे पास जब प्रोफ़ैसर कान्तिया का पत्र आया कि मैं 25 साल से मैसूर गजट का सम्पादन कर रहा हूं और उसमें उपरोक्त घटना नहीं है तो मैंने महा महोपाघ्याय डाक्टर हर प्रसाद शास्त्री अध्यक्ष सस्क्रत विभाग कलकत्ता विश्व विद्यालय को पत्र लिखा कि आपने अपनी पुस्तक में टीपू सुलतान से संबधित मैसूर गज़ट से जो घटना ली है वह घटना मैसूर गज़ट में तो है ही नहीं। तो एक लम्बे समय के बाद प्रोफ़ैसर शास्त्री का जवाब आया कि मेरा ख्याल था कि मैसूर गज़ट में यह घटना मौजूद है और यदि मैसूर गज़ट में नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि मैंने यह घटना कहां से नकल कर दी है?"

इस कार्यक्रम में डाक्टर पान्डे ने यह भी बताया कि "मैने प्रोफ़ैसर कान्तिया को लिखा कि टीपू सुलतान के पक्षपात व संकीर्णता के बारे में यदि कोई घटना मैसूर गज़ट में हो तो अवश्य सूचित करें। प्रोफ़ैसर कान्तिया का पत्र आया कि टीपू सुलतान बड़ा न्याय प्रिय और धर्म निरपेक्ष बादशाह था। उसके कार्यकाल में कोई घटना ऐसी नहीं मिलती है कि जिससे उसको पक्षपाती व संकीर्ण विचारों वाला कहा जा सकता हो। केवल एक घटना गजट में मौजूद है जिससे पक्षपाती व संकीर्ण विचारों का कहा जा सकता है वह यह है कि मैसूर के एक इलाके कोरग में छोटी जाति के हिन्दू आबाद थे ऊंची जाति के हिन्दूओं के आत्यचारों व यातनाओं से तंग आकर ईसाई धर्म स्वीकार करने जा रहे थे। जब सुलतान को इस बात का पता लगा तो वहां के लोगों को दरबार में बुलाकर कहा कि यह मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम लोग ईसाई धर्म स्वीकार

करने जा रहे हो? उन लोगों ने एक ज़बान होकर कहा कि हुजूर बादशाह सलामत ने सही सुना है वास्तव में हम सब ईसाई धर्म स्वीकार करने जा रहे हैं।

टीपू सुलतान ने उन लोगों को समझाया कि तुम लोगों को अपने बाप दादा का धर्म (हिन्दू धर्म) नहीं छोड़ना चाहिए उसी पर कायम रहना चाहिए। नया धर्म न स्वीकार करो। तुम लोग अपने अपने घरों को वापस जाओ। पहले अच्छी तरह से इस समस्या पर विचार विमर्श करो फिर मुझे खबर करो।

कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने वापस आकर कहा कि सरकार हमने ईसाई धर्म स्वीकार करने का फ़ैसला कर लिया है हमें इसकी अनुमति दे दी जाए। बादशाह ने फिर समझाया कि देखो तुम लोगों को अपने बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और अपने पुराने धर्म पर ही कायम रहना चाहिए और यदि तुम लोगों ने धर्म परिवर्तन का फ़ैसला कर ही लिया है तो सात समुन्द्र पार का धर्म स्वीकारने की बजाए अपने बादशाह का धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए अतएव उन्होंने अपने बादशाह का धर्म (इस्लाम धर्म) स्वीकार कर लिया। बस केवल यही एक घटना है वह भी एक विशेष पृष्ठभूमि के साथ। इसके अतिरिक्त कोई और घटना नहीं मिलती है जिससे उसे पक्षपाती करार दिया जा सके।"

डाक्टर बी. एन पान्डे जिन्दगी भर औरंगज़ेब आलमगीर और टीपू सुलतान शहीद का बचाव करते रहे। आखिरी उम्र में कमजोरी व बुढापे के बावजूद जब कभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते तो औरंगजेब और टीपू सुलतान की ओर से मन्दिरों और मठों को दिए गए वज़ीफों, जागीरों और उपहारों का अवश्य उल्लेख करते थे। और इन मुसलमान शासको व बादशाहो का नाम बडी महानता के साथ लिया करते थे जिसके



कारण एक विशेष वर्ग उनसे हमेशा नाराज़ रहता था।

डाक्टर बी. एन. पान्डे जी का एक बहुत ही अच्छा लेख "हिन्दू मन्दिर और औरंगजेब के फ़रामीन" के शीर्षक से विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, अब इस एतिहासिक लेख का महत्व देखते हुए इसे आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने के आधार पर मौलाना आज़ाद अकाडमी नयी दिल्ली" की और से पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है कि हमारे देश के समझदार व हर प्रकार के पझपात से पाक साफ़ लोगों की दिलचस्पी का यह कारण बनेगा और मुस्लिम शासकों एवं बादशाहों के प्रति जो भ्रम एवं ग़लत फ़हमियां मौजूद हैं उनके निवारण का सबब बनेगा।

कुछ निकट तम दोस्तों व हमदर्दों मुख्य रुप से हज़रत मौलाना फ़कीहुद्दीन साहब देहलवी और हाजी रफीउददीन साहब के बड़ी हार्दिक इच्छा है कि इस लेख को अंग्रेजी और हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाए। उनकी इसी इच्छा का आदर करते हुए इसे हिन्दी भाषा में जनाब सालिक धामपुरी साहब से अनुवाद कराकर प्रकाशित करने की कोशिश की जा रही है। इन्शा अल्लाह शीघ्र ही इसे अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद कराकर प्रकाशित किया जाएगा।

स्पष्ट रहे कि इस लेख में मंन्दिरों को दी गयी जागीरों से संबांधित फ़रामीन का उल्लेख अवश्य दिया गया है लेकिन इस पुस्तिका में केवल हिन्दी अनुवाद ही पेश किया गया है।

मैंने अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश की है कि औरंगज़ेब के फ़रामीन को भली प्रकार पेश किया जाए ताकि पाठकों को सही राय स्थापित करने में सुविधा हो। औरंगज़ेब के सभी फ़रामीन को जमा करके सम्पादित करने का काम मौलाना आजाद अकाडमी के

सामने है और यह उसके आगे के कामों का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मौलाना आज़ाद अकाडमी के ज्ञानात्यक एवं शोध कामों व योजनाओं का यह कार्य एक हिस्सा है ताकि मुस्लिम समुदाय के नव जवानों के लिए छोटे छोटे रिसाले व पुस्तिकाएं प्रकाशित किए जाएं। इसी दीर्ध कालीन योजना के तहत यह लेख प्रकाशित किया जा रहा है। इन्शाअल्लाह आगे भी इस प्रकार का सिलसिला जारी रहेगा।

**अताउर्रहमान क़ासमी**
जनरल सेक्रेटी
मौलाना आज़ाद अकाडमी
एन–80,सी अबुल फ़ज़ल इन्कलेव
ओखला, नई दिल्ली–25



# हिन्दू मन्दिर और औरंगज़ेब के फ़रामीन

1948–1953 के दौरान जब मैं इलाहाबाद नगर पालिका का चेयरमैन था तो संशोधन (अर्थात दाखिल ख़ारिज) का एक मुक़दमा मेरे सामने आया। यह विवाद एक जायदाद के बारे में था जो स्वमेश्वर नाथ महा देव मन्दिर को वक़्फ की गयी थी। मन्दिर के महन्त के मरने के बाद इस जायदाद के दो पक्ष दावेदार हुए। दावा करने वालों में से एक ने कुछ ऐसे दस्तावेज पेश किए जो उस परिवार के क़ब्जे में थे और जो इन फरामीन पर आधारित थे जिनको औरंगज़ेब ने पारित किया था। मैं अचरज में पड़ गया। अनुमान था कि ये फ़रामीन गढ़े हुए हैं मुझे हैरत इस बात पर थी कि औरंगज़ेब जो मन्दिरों को ध्वस्त करने के बारे में बहुत आधिक ख्याति रखता था वह मन्दिरों को जागीर प्रदान करने के सिलसिले में इस प्रकार के आदेश किस तरह प्रसारित कर सकता था।

"जागीर पूजा और देवताओं के भोग के लिए प्रदान की जा रही है।" मुझे यह सवाल परेशान किए हुए था कि औरंगज़ेब अपनी पहचान मूर्ति पूजा के साथ किस प्रकार करा सकता था मुझे विश्वास था कि ये दस्तावेज असली नहीं हैं लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैंने बेहतर समझा कि डाक्टर सर तेज बहादुर सप्रू साहब से मश्विरा कर लूं जो फारसी व अरबी के बहुत बड़े विद्वान थें। मैंने सारे कागज़ात उनके सामने रखे और उनसे विनती की।

इस दस्तावेज के अध्ययन करने के बाद डाक्टर सप्रू साहब ने कहा कि औरंगजेब के ये फरामीन बिल्कुल असली हैं। फिर

उन्होंने अपने मुन्शी से वाराणसी में शिवा मन्दिर के मुकदमे की फाइल मंगवाली जिसकी कई अपीलें इलाहाबाद हाइकोर्ट में पिछले 15 सालों से सुनवाई के तहत मौजूद थीं। जगदमबरी शिवा मन्दिर के पास मन्दिर को जागीर प्रदान करने के सिलिसले में औरंगजेब के कई दूसरे फ़रामीन भी थे।

औरंगज़ेब की यह नयी तस्वीर जब मेरे सामने आयी तो मैं बहुत हैरान हुआ। डाक्टर सप्रू साहब के कहने पर मैने कई महत्वपूर्ण मन्दिरों के महन्तों को पत्र लिखे कि यदि उनके पास उनके मन्दिरों को जागीर प्रदान करने के सिलसिले में औरंगज़ेब के फरामीन हों तो मुझे उन की फोटो कापी भेज दें। मुझ पर उस समय हैरतों के पहाड टूट पड़े जब मुझे बड़े मन्दिरों जैसे महा कालेशवर मन्दिर (उज्जैन) बाला जी मन्दिर (चित्रकूट) भयानन्द मन्दिर (गोहाटी) जैन मन्दिर (शतरंजिया) और दूसरे कई मन्दिरों और गुरुद्वारों से जो उत्तरी हिन्द में बिखरे हुए हैं। इन सारे मन्दिरों के महन्तों की ओर से औरंगज़ेब के फ़रामीन की नकलें प्राप्त हुईं। ये फ़रामीन 1065 हिजरी – 1091 हि0 (1659 – 1695 ई0) के बीच पारित किए गए थे। उपरोक्त उदाहरणों से हिन्दू और उनके मन्दिरों के प्रति जहां औरंगजेब की दानवीरता का पता लगता है वहीं यह बात भी साबित हो जाती है कि इतिहासकारों ने इसके बारे में जो कुछ लिखा वह केवल पक्षपात के आधार पर था और वह तस्वीर का केवल एक रुख था। हिन्दुस्तान एक बड़ा विशाल देश है जहां हजारों मन्दिर इधर उधर बिखरे हुए हैं। मुझे यकीन है कि यदि सही तरीके से इस बारे में शोध कार्य किया जाए तो और भी ऐसी मिसालें सामने आएंगी जो इस बात का सबूत होंगी कि गैर मुस्लिमों के प्रति औरंगजेब का व्यवहार बड़ा खुले दिल वाला था।

औरंगजेब के फ़रामीन की जांच के दौरान मेरा वास्ता ज्ञान



चन्द्र और डाक्टर पी एल गुप्ता से भी पडा जो पटना म्यूज़ियम के पूर्व प्रबन्धक थे और जो औरंगज़ेब पर बड़ा अच्छा एतिहासिक महत्व वाला शोधकार्य कर रहे थे। मुझे यह जान कर खुशी हुई कि सत्य के इच्छुक ऐसे शोधकर्ता भी हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि औरंगज़ेब की इस "बदनाम" आरोपी तस्वीर की सफाई की जाए जिसे पक्षपाती इतिहास नारों ने मे हिन्दुस्तान में पुलिस शासन काल की पहचान बताया है और जिसको एक कवि ने बड़े दुखद अन्दाज में व्यक्त किया है।

तुमहें ले दे के सारी दास्तां में याद है इतना

कि आलमगीर हिन्दू कुश था ज़ालिम था सितमगर था।

औरंगज़ेब पर हिन्दू विरोधी शासक होने का आरोप लगाते हुए उसके इस आदेश को बहुत उछाला गया है जो बनारस के फरामीन (आदेश) के नाम से मशहूर हैं। यह फ़रमान बनारस के एक ब्राहमन परिवार से संबंधित था जो मौहल्ला गोरी में रहता था। 1905 में गोपी उपाध्याय के नवासे मंगल पांन्डे ने इस फ़रमान को सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया था। यह फ़रमान पहली बार 1911ई0 में "जनरल आफ दी ऐशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल" में प्रकाशित हुआ जिससे स्कालर्स (विज्ञान एवं शोध करने वाले) का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और उसी समय से इतिहासकार आधिकता से अपने लेखों में इसका हवाला देते चले आ रेहे हैं इस बात की अवहेलना करते हुए कि फरमान का असल उददेश्य और महत्व क्या था उन्होने औरंगज़ेब पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने हिन्दू मन्दिरों के निर्माण पर पाबन्दी लगा दी थी।

यह फरमान औरंगजेब ने 15 जमादिल ऊला 1065 हिजरी (10 मार्च 1659 ईसवी) को बनारस के स्थानीय पदाधिकारियों के

नाम पारित किया था जो एक शिकायत नामे के सिलसिले में था जिसे एक ब्राहमन ने दाखिल किया था जो किसी स्थानीय मन्दिर की देख भाल करने वाला था और जिसे कुछ लोग सता रहे थे वह फ़रमान यह है–

"अबुल हसन (जो शाही दान के योग्य और भरोसे योग्य भी है)को मालूम होना चाहिए कि हमारी स्वभाविक दया और दयालुता का तकाजा है कि हमारी सम्पूर्ण अनथक शक्ति और नेक इरादे जन सामान्य गरीब व अमीर के कल्याण पर खर्च हो। हमारे प्रभावी कानून के अन्तर्गत हमने फैसला किया है कि प्राचीन मन्दिरों को ध्वस्त न किया जाए लेकिन मन्दिरों के निर्माण की अनुमति भी न दी जाए।[1] हमारे न्याय के दौरान सम्मान योग्य दरबार में यह खबर पहुंची है कि कुछ लोग बनारस और आस पास के हिन्दुओं और प्राचीन मन्दिरों को उनके ब्राहमन संरक्षकों के मामलों में हस्तक्षेप करके उनको सता रहे हैं और वे लोग इन ब्रहमनों को उनके पदों से बे दखल भी करना चाहते हैं और इस तरह की धमकियां इस कौम (हिन्दू कौम) के लिए दुख व यातना का कारण है अतः हमारा शाही आदेश यह है कि इस स्पष्ट आदेश के मिलने के तुरन्त बाद इस पर अमल किया जाए कि भविष्य में इन क्षेत्रों के रहने वाले ब्राहमनों और हिन्दुओं के मामले में अवैध रूप से हस्तक्षेप न किया जाए और न इनमें कोई गडबडी की जाए ताकि वे पहले की तरह अपने पदों पर रहकर दिल की एकाग्रता के साथ अपने

(1) यह कानून शाहजहां बादशाह के कार्यकाल मे बनाया गया था। बात इस प्रकार थी कि एक स्थान पर दो प्राचीन मन्दिर थे। इसी स्थान पर कुछ लोगों ने तीसरा मन्दिर भी बनाना शुरू कर दिया जिससे वहां के हिन्दुओं में आपसी मतभेद हो गया जब इस विवाद का बादशाह को पता लगा तो बादशाह ने इस विवाद व झगडे को खत्म करने के लिए इस तीसरे मन्दिर के निर्माण के काम को रोकने का आदेश दिया। यही आदेश औरगजेब के कार्य काल तक जारी रहा। फरमान बनारस मे इसी आदेश को दोहराया गया था न कि कोई नया आदेश पारित हुआ था। (कासमी)



ईश्वर की उपासना कर सकें और हमारी इस्लामी सलतनत सदैव के लिए बाकी रहे। इस आदेश पत्र को तुरन्त पालन के लिए माना जाए।---------"

यह फरमान स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत करता है कि औरगजेब ने नए मन्दिरों के निर्माण के विरुद्व कोई नया आदेश पत्र पारित नहीं किया था बल्कि उसने केवल प्रचलित नियम की ओर संकेत करते हुए मौजूदा मन्दिरों की मौजूदगी को मान्यता प्रदान की थी और साथ ही साथ मन्दिरों के धवस्त के विरुद्व स्पष्ट आदेश दिए थे। फरमान इस बात की ओर भी इशारा करता है कि वह दिल से चाहता था कि उसकी हिन्दू जनता सुख चैन से जीवन बसर करे।

इस तरह का यह एक मात्र फरमान नही था। बनारस में एक और फरमान भी पाया जाता है जो स्पष्ट करता है कि औरगजेब की हार्दिक इच्छा थी कि हिन्दू जनता सुख शान्ति से जीवन बसर करे । फरमान के शब्द इस प्रकार हैं।

"महाराजा धीरज राजा राम सिंह ने हमारे दरबार में एक प्रार्थना पेश की है कि बनारस में गंगा के किनारे मौहल्ला माधव राम में उसके पिता ने एक मकान भगवत गोसायी के (जो उसका धार्मिक गुरु था) रहने के लिए बनाया था चूंकि कुछ लोग गौसायी को तंग करते हैं अतः हमारा आदेश है कि इस स्पष्ट फरमान के मिलते ही वर्तमान और भविष्य के समस्त पदाधिकारी इस आदेश को पारित करें कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति गौसायी के किसी मामले में दखल न दे और न उसे किसी तरह परेशान किया जाए ताकि वह पूरे सुकून के साथ अपनी पूजा पाठ कर सके और हमारी इसलामी सलतनत सदैव बाकी रहे। इस आदेश को तत्काल पालन योग्य समझा जाए।"

कुछ दूसरे फ़रामीन जो जंगदम्बरी मठ के महन्त के क़ब्जे में है उनसे पता चलता हैं कि औरंगज़ेब के लिए यह बात सहन योग्य न थी कि उसकी जनता के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाए। (चाहे वे हिन्दू हों या मुस्लिम) यह अपराधियों से बड़ी कठोरता से पेश आता था। इन फ़रामीन में से एक उस शिकायती पत्र से संबंधित था जो औरंगज़ेब के दरबार में जंगम जमाअत ने (जंगम सम्प्रदाय को मानने वाला वर्ग) बनारस के एक मुसलमान नजीर बेग के विरुद्व पेश किया था। इस संबंध में निम्न फरमान पारित किया था।

"मुहम्मद आबाद जो बनारस (सूबा इलाहाबाद) के नाम से जाना जाता है के अलमबरदारों को सूचित किया जाता है कि अमी अर्जुमल और जंगम जो परगना बनारस के रहने वाले हैं वे शाही दरबार में उपस्थित हुए और शिकायत की कि नज़ीर बेग ने जो बनारस का रहने वाला है उसने उनकी उन पांच हवेलियों पर कब्जा कर लिया है जो बनारस में स्थित हैं इसलिए हुक्म दिया जाता है कि यदि उनका दावा सच्चा हो और (इन हवेलियों पर) उनके मालिकाना अधिकार साबित हो जाएं तो नज़ीर बेग को उन हवेलियों में दाखिल न होने दिया जाए ताकि जंगम जमाअत भविष्य में हमारे दरबार में शिकायत करने की स्थिति में न पेश हो।"

(फरमान 1672ई.)

एक दूसरा फरमान जो इसी मठ के क़ब्ज़े में है पहली रबीउल अव्वल 1078 हि0 को पारित किया गया था। इस ज़मीन के हिस्से से संबंधित है जो जंगम जमाअत को प्रदान किया गया था और इस फरमान के अनुसार उन्हें दोबारा लौटा दिया गया है। फरमान इस प्रकार है।

"परगना हवेली (सूबा इलाहाबाद) के तमाम वर्तमान और भविष्य के जागीरदारों और करोड़ियों को सूचित किया जाता है कि



शाही आदेश के अनुसार जंगम जमाअत को 178 बीघा ज़मीन उनकी किफ़ालत के लिए प्रदान की जाती है इससे पूर्व पुराने हाकिम इस बात की जांच कर चुके हैं इस अवसर पर भी उन्होंने सबूत पेश किए हैं जिनपर इस परगना के अफ़सर की मुहुर लगी है और जिससे साबित हो जाता है कि पहले की तरह यह ज़मीन का टुकड़ा न केवल यह कि उनके कब्ज़े में है बल्कि इस पर उनका हक़ भी स्पष्ट रूप से साबित होता है अतः शाही हुक्म के अनुसार यह ज़मीन का टुकडा इनको शाही रास के सदके के तौर पर प्रदान किया जाता है, उपरोक्त जमीन का टुकडा खरीफ फ़सल के शुरु से पहले की तरह इनको लौटा दिया जाए और इनसे किसी तरह की पूछताछ न की जाए ताकि यह जंगम जमाअत हर फसल की आमदनी को अपनी किफ़ायत के लिए इस्तैमाल में लाए और बर्बाद न हो।"

इस फ़रमान से स्पष्ट होता है कि औरंगज़ेब का न्याय न केवल यह कि ख़लकी था बल्कि "निसार" बांटने में वे हिन्दू मसाकीन में भी भेदभाव नहीं करता था ठीक संभावित है कि उपरोक्त 178 बीघा ज़मीन औरंगज़ेब ने स्वयं जंगम सम्प्रदाय को दान के रूप में दी हो क्योंकि इसी ज़मीन के हिस्से से संबंधित निम्न फरमान भी है जो 5 रमजानुल मुबारक 1071 हिजरी में पारित किया गया था।

"परगना हवेली बनारस (जो सूबा इलाहाबाद के अन्तर्गत है) के मौजूदा और आने वाले जमाने के तमाम पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि शाही आदेश के अनुसार परगना बनारस का 178 बीघा ज़मीन का टुकडा जंगम जमाआत को उनके जीवन यापन के लिए प्रदान किया गया है हाल ही में वे लोग दोबारा शाही दरबार में उपस्थित हुए थे उनके अधिकार साबित हो चुके है और यह कि ये वही लोग है जिनके कब्ज़े में वह ज़मीन का टुकडा

है अतः निम्न विवरण के तहत उपरोक्त जमीन को "मुफती जमीन" माना जाए ताकि ये लोग इसे इस्तेमाल कर सकें और शहंशाह की हुकूमत की मौदूदगी के लिए दुआ करें।"

एक दूसरे फरमान में जो 1085 हिजरी को पारित किया गया जो निम्न है औरंगजेब ने बनारस शहर के एक हिन्दू अध्यापक को भी ज़मीन प्रदान की थी।

"इस शुभ अवसर पर यह फरमान पारित किया गया था जो दो जमीन के टुकड़ों से संबंधित था जिनकी पैमाइश (माप) 588 बीरा (उस समय का माप) है। ये ज़मीन के टुकड़े बनारस में गंगा के किनारे बैनी माधव घाट पर स्थित है, इनमें से एक ज़मीन का टुकडा जीवन गौसायी के मकान के सामने और मर्कजी मस्जिद के पिछवाडे और दूसरा कुछ ऊपर स्थित है। ये ज़मीन के टुकड़े जो खाली हैं और जिन पर कोई निर्माण नहीं किया गया है बैतुलमाल के कब्जें में हैं अतः हमने ज़मीन के इन टुकड़ों को राम जीवन गौसायीं और उसके बेटे को पुरुस्कार के रूप में प्रदान किए है ताकि वे ज़मीन के इन टुकडों पर पावित्र ब्राहमनों और साधुओं के लिए रहने के मकान बनाएं और अपने ईश्वर की पूजा अर्चना में व्यस्त होते हुए हमारी इस्लामी हुकूमत के लिए दुआ करें जो सदैव के लिए मौजूद रहे अतः हमारे मान सम्मान वाले शहजादे, सूझ बूझ रखने वाले मंत्री, शरीफ व सज्जन उमरा व पदाधिकारियों, डोगरों और मौजूद व भविष्य के कोतवालों को चाहिए कि वे इस फरमान को लागू करने की हर संभव कोशिश करें ताकि उपरोक्त जमीन के टुकडे उपरोक्त लोगों के कब्जे में रहें और इनकी सन्तान को किसी प्रकार की राशि आदि से अलग रखा जाए और इनसे हर साल नये प्रमाण पत्र की मांग न की जाए।"



# गोहाटी का मन्दिर

औरंगजेब अपनी जनता की धार्मिक भावनाओं के सम्मान के सिलसिले में बहुत ही सावधान था। हमारे पास शहशाह का एक फरमान है जिसे उसके कार्यकाल के नवें साल में 2 सफर को सदामन ब्रहमन के पक्ष में पारित किया गया था। यह व्यक्ति असम में गोहाटी के उमानन्द मन्दिर का पुजारी था। असम के हिन्दू राजाओं ने देवता के भोग (चढ़ावे) और पुजारी की गुजर बसर के लिए जमीन का एक टुकड़ा और जंगल की कुछ आमदनी निर्धारित की थी। जब औरंगज़ेब ने इस सूबे पर कब्जा किया तो तत्काल एक फरमान पारित किया जिसके अनुसार उपरोक्त मन्दिर और उसके पुजारी के पक्ष में जमीन को दान और जंगल की आमदनी को मान्यता प्रदान की, गोहाटी फरमान के शब्द इस प्रकार हैं।

"महत्वपूर्ण मामलों के वर्तमान व भविष्य के समस्त अफसरों, चौधरियों, कानून विदों, पटवारियो और सारे राज्य मे स्थित पांडों व परगना मे पट्टा बन्गीसार के किसानो को सूचित किया जाता है कि पूर्व राजाओं के फरमान के अनुसार सकारा गांव का एक जमीनी टुकडा (जिसकी) पैमाइश 21/2 बिसवा है) और जिसकी माल गुजारी की पूरी रकम 30 रुपये है सदामन और उसके लडके (अमानन्द मन्दिर के पुजारी) को प्रदान की गयी थी। हाल ही में उपरोक्त दावे की पुष्टि भी हो गयी है कि उपरोक्त भरण पोषण की रकम में से 20 रुपऐ जो उस गाव से प्राप्त होती है और बाकी रकम जंगल की आमदनी से प्राप्त होती हैं। माल गुजारी की रकम को छोडकर जो कि कुछ चुनींदा गाव से प्राप्त होती है। उपरोक्त दान में इन लोगो को प्रदान की गयी थी अतः उपरोक्त उल्लिखित सभी अफसरो को चाहिए कि यह रकम नकद व जमीन के टुकडे (दोनो मौहल्लो से अलग करके) इन लोगो के कब्जे में हमेशा के

लिए दे दी जाए ताकि वे इस रकम और ज़मीन को अपने जीवन यापन और अपने देवताओं के भोग के लिए इस्तेमाल कर सकें और अपनी पूजा व उपासना में लगे रहे ताकि हमारी हुकूमत हमेशा मौजूद रहें। वे (अर्थात अफ़सर) इस जगह को किराये पर उठाने की अनुमति न दें और न ही माल गुजारी या किसी दूसरे अफ़सर नए प्रमाण पत्र के बारे में (इन दान पाने वालों से) किसी प्रकार की पूछ ताछ करें। यदि कोई नया प्रमाण पत्र पेश करे तो उसे भरोसे योग्य न समझें। सारे अफ़सर व अधिकारी इस फ़रमान के पाबन्द रहें इससे कण भर इन्कार या इसकी अवहेलना न करें।"

(यह फ़रमान शहंशाह की तख़्त नशीनी के नवें साल 2 सफ़र में लिखा गया।)

## उज्जैन का महा कालेश्वर मन्दिर

हिन्दू जनता और उनके धर्म के संबंध से औरंगज़ेब में आदर्श उदारता पायी जाती थी इसका प्रमाण उज्जैन के महा कालेश्वर मन्दिर के पुजारी पेश करते हैं। यह मन्दिर शिव के महत्व पूर्ण मन्दिरों में से एक मन्दिर है जहां दिन और रात के हर क्षण एक "दिया" (चराग) जिसे "नन्दा दीप" कहते हैं जलता रहता है और इसे बुझाने नहीं दिया जाता। प्राचीन काल से ही इस दिया को जलता रखने के लिए स्थानीय हुकूमत की ओर से रोजाना चार सेर घी उपलब्ध किया जाता रहा। मन्दिर के पुजारियों का कहना है कि मुगल शासन काल में भी यह परम्परा बनी रही यहां तक कि औरंगज़ेब ने भी इस परम्परा को निभाया। दुर्भागय से इस दावे को साबित करने के लिए उनके पास कोई शाही फ़रमान नहीं है लेकिन उनके पास मुराद बख़्श के दिए गए फ़रमान की एक नकल है जिसे उसने 5 शव्वाल 1061 हिजरी को अपने बाप के कार्यकाल



में पारित किया था।

हकीम मुहम्मद मेंहदी मुन्शी ने पुराने रिकार्ड की छानबीन के बाद प्रार्थना करने वाले की तस्दीक़ की। इस आधार पर चबूतरा कोतवाली के तहसीलदार को हुक्म दिया गया कि मन्दिर के उपरोक्त "दिए" के लिए चार सेर (अकबरी) घी उपलब्ध कराया जाए।

इस फ़रमान की एक नकल 1153 हि0 में (अर्थात असल फ़रमान के पारित होने के 93 साल बाद) मुहम्मद साअदुल्लाह ने पारित की।

मन्दिर के मौजूदा पुजारी इससे यह नतीजा निकालते हैं कि असल फ़रमान की नक़ल का एक लम्बी अवधि के बाद पारित किया जाना इस बात का सबूत है कि असल फ़रमान पर इस पूरी अवधि में अमल होता रहा और इस अवधि में औरंगज़ेब का दौर गुजरने के बावजूद इस फ़रमान का कोई महत्व न होता तो एक मुर्दा फ़रमान की नक़ल हासिल करने की काशिश कोई न करता।

मन्दिर के पूर्व महन्त लक्षमी नारायण ने और भी कुछ शाही दस्तावेजों (जो कि उपरोक्त मन्दिर के मुहाफ़िज़ ख़ाने या सरकारी दफ़तर में महफ़ूज़ रखे गए थे) पर मेरा ध्यान आकृष्ट कराया। लक्षमी नारायन के पास औरंगज़ेब के कार्यकाल के कुछ और कागज़ात भी हैं।

## शतरंजा और आबू के मन्दिर

आम तौर से इतिहास कार इस बात का उल्लेख तो करते हैं कि अहमदाबाद में नागर सेठ का निर्माण किया हुआ चतना मन मन्दिर ध्वस्त कर दिया गया था लेकिन इस वास्तविकता से कन्नी

काट जाते हैं कि यह वही औरंगज़ेब है जिसने उसी नागर सेठ को शतरंजा और आबू के मन्दिरों के निर्माण के लिए जमीन प्रदान की थी। इस संबंध में जो सनद प्रदान की गयी वह इस तरह है।

"(और) जिसका समापन सुखद होगा जो हरीसति दास ने इस पवित्र उच्च व श्रेष्ठ दरबार के ज़िमेदार लोगों के द्वारा हमारे सामने एक प्रार्थना की। अतः हिन्द के आलीजाह का एक फ़रमान 19 रमज़ानुल मुबारक 1031 हिजरी को किया जाता है जो हज़रत सुलेमान के फ़रमान जैसा उच्च व श्रेठ है और हज़रत मुहम्मद सल्ल० हज़रत सुलेमान अलैहि० के पद के उत्तराधिकारी थे।

इस फ़रमान के तहत जिला पुलीताना जो शतरंजा उनके अखितयार में आता है (यह सूबा अहमदाबाद के अन्तर्गत है और इसके इलाकों की आय दो लाख दिरहम है)प्रार्थना कर्ता को हमेशगी के इनाम की सूरत में प्रदान किया जाता है। प्रार्थना कर्ता इस बात का इच्छुक है कि हमारे दरबार से इस संबंध में एक फ़रमान पारित किया जाए अतः पूर्वानूसार प्रार्थना कर्ता को उपरोक्त जिला सदैव के लिए इनाम की सूरत में प्रदान करते हैं।

इसलिए उपरोक्त सरकार के सूबे के समस्त वर्तमान और भविष्य के प्रबन्धकों पर आनिवार्य है कि वे इस आदर्णीय आदेश पत्र का पालन करते हुए इस बात की पूरी पूरी कोशिश करें कि उपरोक्त जिला उपरोक्त व्यक्ति और उसकी औलाद और वारिसों के कब्ज़े में नस्ल बाद नस्ल रहे। इसके अलावा उपरोक्त व्यक्ति को हर प्रकार के करों आदि व अन्य खर्चों से भी अलग करार दिया जाए और इससे हर साल नयी सनद (प्रमाण पत्र) की मांग भी न की जाए। अफ़सरों को सूचित किया जाता है कि वे इस शाही फ़रमान से कभी भी मुहं न मोड़ें।"

यह फरमान (9.1068 हि0– 1658 ई०) को लिखा गया। नागर सेठ ने किसी जंग में औरंगज़ेब की मदद की थी और



उसकी सेवाओं से खुश होकर औरंगज़ेब ने उसे करनाल और आबू की कुछ ज़मीन वहां के मन्दिरों के लिए उपहार के रूप में प्रदान कर दी थी। फरमान यह है।

"अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु व दयावान है (यह तुगरह है) ईमान वालों! अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो और जो तुम में से हुकूमत के जिम्मेदार हैं उनका भी।

(मोहर) अबुल मुज़फ़फ़र मुहियुद्दीन मुहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह गाज़ी इस समय यह फरमान जारी करता है।

शरावक सम्प्रदाय के शान्ती दास पुत्र साहस भाई ने आलीजाह से इनाम चाहने की प्रार्थना की है । इस व्यक्ति ने हमारी सेना के कूच के दौरान अनाज देकर मदद की थी और इसकी सेवा के बदले वह खास इनामों से नवाज़े जाने का हक़दार है अतः पुलीताना का ग्रामीण क्षेत्र जो अहमदाबाद के कार्य क्षेत्र में आता है और पुलीताना की पहाड़ी जो शतरंजा के नाम से मशहूर है उसके मन्दिर सहित आलम पनाह शरावक सम्प्रदाय के इस व्यक्ति शान्ती दास जोहरी को प्रदान करते हैं। शतरंजा पहाड़ी से जो लकडी, ईंधन हासिल होगा वह शरावक सम्प्रदाय की निजी सम्पत्ति माना जाएगा ताकि वह इसे अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सके। जो भी शतरंजा पहाड़ी और इसके मन्दिर की रक्षा करेगा वह पुलीताना की आमदनी का हकदार होगा। वह अपने तौर से पूजा करें कि हमारी सरकार क़ायम रहें तमाम सरकारी अफ़सरों व पदाधिकारियों, जागीरों और करोड़ियों का फ़र्ज है कि वे इस आदेश पत्र में न कोई परिवर्तन करें और न ही इससे मुंह मोड़ें।"

## गिरनार और आबू जी

"इसके अलावा जूना गढ़ में एक पहाड़ है जो गिरनार (या गिरनाल) के नाम से मशहूर है और आबू जी में भी एक पहाड़ी है जो सिरोही के कार्य क्षेत्र में आती है। इन दोनों पहाड़ों को भी हम शरावक सम्प्रदाय के शान्ती दास जौहरी को मुख्य रूप से प्रदान करते हैं ताकि वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हो जाएं। अतः समस्त पदाधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी को सम्पत्ति में हस्तक्षेप न करने दें और कोई भी राजा उस (शान्ती दास) से किसी प्रकार की पूछ ताछ न करें बल्कि उसकी हर प्रकार की मदद की जाए। इस हुक्म का पालन करने वाले से हर साल नयी सनद की मांग न की जाए और यदि कोई व्यक्ति इस गांव और तीन पहाड़ों पर कोई दावा करे जो हमने शान्ती दास को प्रदान किए हैं तो उसका यह काम न केवल यह कि निंदनीय होगा बल्कि वह जनता और अल्लाह की फटकार का भी हकदार होगा। इसके अलावा भी एक अलग से सनद उसे प्रदान की गयी है।" (यह फरमान 10 रजब 1070 हिजरी 12 मार्च 1660ई0 को लिखा गया)

## विश्व नाथ मन्दिर बनारस के ध्वस्त का असल कारण

लेकिन कुछ घटनाएं इस बात की भी साक्षी हैं और हर प्रकार के सन्देहों से भी पाक साफ कि औरंगजेब ने बनारस के विश्व नाथ मन्दिर और गोल कुन्डा की जामा मस्जिद के ध्वस्त का आदेश भी दिया था लेकिन जिन हालात के तहत मन्दिर और मस्जिद को ध्वस्त किया गया और उसकी जो वजूहात बयान की गयीं उनका लाभ औरंगजेब को पहुंच सकता है।



विश्वनाथ के मन्दिर की घटना इस प्रकार है कि बंगाल जाते हुए औरंगजेब, जब बनारस के पास से गुजरा तो उन हिन्दू राजाओं ने जो उसके दरबार में आते जाते रहे थे औरंगजेब से वहां एक दिन ठहरने की विनती की ताकि उनकी रानियां बनारस में गंगा स्नान और विश्व नाथ देवता की पूजा कर सकें। औरंगजेब तुरन्त राजी हो गया। और इन सब की रक्षा के लिए बनारस तक के पांच मील के रास्ते पर सेना की टुकड़ियों को नियुक्त कर दिया। रानियां पालकियों में स्वार थीं। गंगा स्नान करके वे पूजा के लिए विश्व नाथ मन्दिर के लिए रवाना हुईं।

पूजा के बाद सिवाए कछ की महारानी के सारी रानियां वापस आ गयीं। महारानी की तलाश में मन्दिर की पूरी सीमाएं व इलाका छान डाला गया लेकिन उसका पता न चल सका। औरंगजेब को इस घटना का पता लगा तो वह बड़ा नाराज़ हुआ और उसने अपने उच्च पदाधिकारियों को रानी की तलाश में भेजा। अन्त में वे गणेश मूर्ति के पास पहुंचे जो दीवार में लगी हुई थी और जो अपनी जगह से हिलायी जा सकती थी। उसे हरकत देने पर उन्हें सीढ़ियां नजर आयीं जो किसी तहखाने में जाती थी। वहां उन्होंने एक बडा भयानक हश्य देखा कि रानी की इज्जत लूटी जा चुकी थी और वे दहाड़ें मार मार कर रो रही थी। यह तहखाना विश्व नाथ देवता की मूर्ति के ठीक नीचे था इस पर तमाम राजाओं ने क्रोधित होकर बड़ा विरोध किया चूंकि अपराध बड़ा घिनौना था इसलिए राजाओं ने अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। औरंगजेब ने आदेश दिया कि चूंकि वह पवित्र स्थान अपवित्र हो चुका है इसलिए विश्व नाथ देवता की मूर्ति को वहां से किसी अन्य स्थान पर पहुंचा दिया जाए और यह कि मन्दिर को ध्वस्त कर दिया जाए और महन्त को गिरफतार करके सजा दी जाए।"

डाक्टर पी एल गुप्ता के दस्तावेजों के आधार पर डाक्टर

पट्टामी सीता रमैया जो पटना म्यूज़ियम के पूर्व प्रबन्धक हैं उन्होंने इस का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (पर और पत्थर) में उल्लेख करते हुए इस घटना की पुष्टि की है।

## जामा मस्जिद गोलकुन्डा का ध्वस्त होना।

गोल कुन्डा के प्रसिद्ध शासक तानाशाह, ने यह हरकत की कि शाही कर वसूल तो किया परन्तु शहंशाह दिल्ली को इसकी अदाएगी नहीं की। कुछ ही सालों में यह राशि करोड़ों तक पहुंच गयी; तानाशाह ने यह ख़जाना ज़मीन के अन्दर दफ़न करके उस पर जामा मस्जिद का निर्माण करा दिया। जब औरंगजेब को इसका पता लगा तो इस मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया और दफ़न किया हुआ खज़ाना ज़ब्त करके जनता के कल्याण के कामों में खर्च कर दिया। उपरोक्त घटना से इस बात का पता लगता है कि औरंगज़ेब ने जहां तक अदालती जांच का संबंध था, कभी भी मन्दिर व मस्जिद में कोई भेदभाव नहीं रखा।

दुभग्यि से हिन्दुस्तान का वर्तमान दौर ने मध्य कालीन के इतिहास की घटनाओं में ऐसी ऐसी ग़लत फ़हमियां व भ्रम पैदा कर दिए हैं और एतिहासिक पात्रों को इस प्रकार बिगाड़ दिया है कि इन ग़लत घटनाओं और चरित्र हनन को "खुदाई सच" माना जा रहा है और यदि कोई हक़ीक़त व अफ़साना सत्य व असत्य और सत्य की बिगड़ी हुई शक्ल को अलग करने की कोशिश करता है तो उसपर उंगलियां उठायी जाती हैं। पक्षपात करने वाले व्यक्ति और पार्टियां अपना लाभ हासिल क़रने के लिए इतिहास क़ो तोड़ मरोड़ कर ग़लत बयानी के साथ पेश कर रही हैं।

सबसे अधिक दुखद बात यह है कि दोनों पक्षों का रूढ़िवादी वर्ग न केवल यह कि हिन्दुस्तान मध्यकालीन का इतिहास बदलने व बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है बल्कि वेद और कुरआन



शरीफ के उसूल, अकीदों और आदेशों की भी गलत व्याख्या कर रहा है।

# फ़रामीन का अनुवाद

## बनारस के नाज़िम अबुल हसन के नाम

"لایق العنایت والرحمت ابوالحسن بالتفات شاہانہ امیدوار بودہ بداند کہ چوں بمقتضاے مراہم ذاتی ومکارم جبلی ہمگی ہمت والانہمت وتمامی نیت حق تویت مابر فاہیت جمہور انام وانتظام احوال طبقات خواص وعوام مصروف است واز روے شرح شریف وملت حنیف مقرر چنیں است کہ دیر ہاے دیریں برانداختہ نشود وبت کدہ ہا تازہ بنا نیابد ودریں ایام معدلت انتظام بعرض شرف اقدس ارفع اعلیٰ رسید کہ بعض مردم از راہ عنف وتعدی بہ ہنود سکنہ قصبہ بنارس وبرخے امکنہ دیگر کہ بنواحی آں واقع است وجماعت برہمناں سدنہ آں محال کہ سدانت بت خانہ ہاے قدیم آنجا بآنہاں تعلق دارد ومزاحم ومعترض میشوندی خواہند کہ ایناں را از سدانت آں کہ از مدت مدید بایں با متعلق است باز وارند وایں معنی باعث پریشانی وتفرقہ حال ایں گروہ می گردد لہذا حکم والاصادر می شود کہ بعد از ورود ایں منشور لامع النور مقرر کنند کہ من بعد آمدے بوجوہ بے حساب تعرض وتشویش باحوال برہمناں ودیگر ہنود متوطنہ آں محال نرساند تا آنہاں بدستور ایام پیشیں بجا ومقام خود بودہ بجمعیت خاطر بدعاے بقاے دولت خداداد ابد مدت ازل بنیاد قیام نمایند دریں باب تاکید دانند۔ بتاریخ ۱۵ر شہر جمادی الثانیہ ۱۰۶۹ھ نوشتہ شدہ۔

"कृपा व दयालुता का हक़दार अबुल हसन शाही मेहरबानियों का उम्मीदवार है और यह समझ ले कि हमारी व्यक्तिगत दया और हमारे स्वभाविक आचार संहिता का यह तक़ाज़ा है कि हमारा ध्यान और साहस समस्त जनता के कल्याण और सारे वर्गों की भलाई में व्यस्त है और इस्लामी शरीअत का कानून भी यही है कि प्राचीन मन्दिरों को कदापि ध्वस्त और बर्बाद न किया जाए और नए मन्दिर बिना अनुमति के निर्माण न किए जाएं। आज

कल हमारे समक्ष यह बात पेश हुई है कि कुछ लोग ज़ोर जबरदस्ती कसबा बनारस और उसके आस पास की बस्तियों के रहने वाले हिन्दुओं और ब्राहमनों को उनकी पुरोहिती से जो उनका पैत्रिक हक़ है उनको हटा देना चाहते है जिसका नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि ये बेचारे परेशान होकर मुसीबत का शिकार हो जाएं इसलिए तुम (अबुल हसन) को आदेश दिया जाता है कि इस फ़रमान के पहुंचते ही ऐसा प्रबन्ध करो कि कोई व्यक्ति उस इलाक़े के ब्राहमनों और दूसरे हिन्दुओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या अत्याचार न करे और उनको किसी प्रकार की यातना का शिकार न होने दे ताकि ये लोग नियमित रूप से अपने अपने स्थान पर रह कर दिल के सन्तोष व शान्ति के साथ हमारी इस्लामी हुकूमत के लिए दुआ करते रहें। इस मामले में सचेत किया जाता है कि इस पर पूरा पूरा अमल किया जाए।"

(15 जमादिस्सानी 1069)

## दूसरा फ़रमान

متصدیان مہمات حال واستقبال چبوترہ کوتوالی پرگنہ شاہ جہاں پور بدانند چوں دریں ولاحقیقت کوکازنادار بہ ظہور پیوست کہ عیال کثیر بہ او وابستہ است وہیچ وجہ معیشت ندارد بنابراں مبلغ سہ ٹنکا مرادی در وجہ روزینہ موسی الیہ مقرر نمودہ شدہ باید کہ وجہ مذکورہ از ابتدا بستم شہرہ ذیقعدہ سن ۱۷ مقرر دانستہ روز بروز از محصول چبوترہ مذکورہ مشارالیہ می رسانیدہ باشد کہ صرف معیشت خود نمودہ بدعاوام دولت ابد اتصال اشتغال داشتہ باشد۔ تحریرفی تاریخ ۲۱ ذی قعدہ ۷ جلوس۔

"चबूतरा कोतवाली परगना शाहजहां पुर के वर्तमान व भविष्य के अधिकारियों व अफ़सरों को मालूम हो कि काज कारदार (पंडित) ने यह प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके परिवार में बहुत अधिक बच्चे हैं और उसका कोई व्यवसाय या रोज़गार नही है



इसलिए उसके भरण पोषण के लिए तीन टन्का मुरादी दिया जाना निर्धारित किया जाता है और यह आदेश बीस जीकाअदा से लागू किया जाना माना जाए। यह रकम उसे चबूतरे की आमदनी से अदा कर दी जाए ताकि वह अपने घर वालों पर खर्च कर सके और हमारी हुकूमत के लिए दुआ करता रहे।

(इस फ़रमान पर नजाबत खां मुरीद बादशाह की मोहर है)

## तीसरा फ़रमान

متصدیاں مہمات حال واستقبال چبوترہ کوتوالی دارالفتح اجین بدانند دریں ولاحقیقت کانجی پسر کوکا بہ ظہور پیوست کہ بموجب اسناد سابق موازی سہ ٹنکا مرادی در وجہ روزینہ مقرر بود مشارالیہ بقضائے الٰہی فوت شد لہذا دریں ولا موازی سہ بہلولی عالمگیری از ابتدائے بستم شہر رجب ۱۷ سن جلوس بنام کانجی پسر موی الیہ مقرر گشتہ باید کہ از محصول محال مذکور تنخواہ می دادہ باشند کہ آں صرف ماتحتاج خود نمودہ.....۔

تحریرفی تاریخ بست یکم شہر رجب المرجب سن ۱۷ فقط۔

"चबूतरा कोतावाली दारुल फतह उज्जैन के वर्तमान व भविष्य के कारिन्दों को मालूम हो कि कोका के बेटे कान्जी ने प्रार्थना की है कि पहली सनद के अनुसार कोका के लिए तीन टन्का का प्रबन्ध किया था अब वह इस दुनिया से सिधार गया है इसलिए अब तीन बहलोली आलमगीरी 20 रजब 17वें साल से उसके लड़के कोची के नाम निर्धारित हो जाना चाहिए और चबूतरे की आमदनी से यह रकम उसको दी जाए ताकि वह अपनी जरूरत पर खर्च करे और दौलते इस्लामिया (हमारी हुकूमत) के लिए दुआ करे।" (21 रजब सन जलूस 17)

## चौथा फ़रमान

عاملان حال واستقبال پرگنہ سارنگ پور بدانند کہ چوں دریں ولا بموجب پروانہ امارت پناہ اسلام خاں مرحوم بہ ظہور پیوست کہ کانجی زناردار ہیچ وجہ معیشت ندارد لہذا مبلغ چہار آنہ یومیہ چبوترہ کوتوالی محل مستور باومقرر است باید کہ یومیہ مذکور راروز بہ روزمی رسانیدہ باشد کہ صرف اوقات خودنمودہ و دردعا گوئی دوام اشتغال داشتہ باشد دریں باب تاکید دانند۔ تحریر فی تاریخ ۲۸ رجمادی الثانی جلوس والا۔

"परगना सारंग के वर्त्तमान व भविष्य के अफ़सरों व अधिकारियों को मालूम हो कि इस्लाम खां मरहूम के पत्र से यह पता चला कि काजी नामक व्यक्ति का कोई काम धंधा नहीं है इसलिए चबूतरा कोतवाली के महसूल से चार आना रोजाना उसको देना तै किया जाता है। यह पैसा रोज़ाना उसके पास पहुंचना चाहिए ताकि वह केवल अपना जीवन बसर कर सके और फिर हमारी हुकूमत के लिए दुआ करता रहे। यह ताकीदी हुक्म है। (तारीख 28 जमादिस्सानी 19 जलूस वाला).

## पांचवा फ़रमान

متصدیان مہمات حال واستقبال چبوترہ کوتوالی من مضاف صوبہ اجین بدانند کہ چوں دریں ولا بوجہ پیوست کہ کوکا زنادار بموجب پروانہ نجابت خاں مرحوم سہ ٹنکا مرادی کلاں از چبوترہ کوتوالی یومیہ مذکور مقرر داشت ودیعت حیات سپردہ لہذا یومیہ مذکور بدستور سابق بہ کانجی پسر کومذکور من ابتدا شہر ذی قعدہ ۱۰۸۷ بحال ومسلم داشتہ شد باید کہ وجہ یومیہ از ابتدا صدر می رسانیدہ باشد کہ آں راصرف کفاف نمودہ بدعا گوئی دوام دولتِ ابدمدت بندگان حضرت اشتغال می داشتہ باشند۔ تحریر فی تاریخ پنجم ذی قعدہ ۱۰۸۷ھ

"सूबा उज्जैन के चबूतरा कोतवाली के वर्तमान व भविष्य



के अफ़सरों व अधिकारियों को मालूम हो कि यह पता चला है कि नजाबत खां मरहूम की प्रार्थना के अनुसार गुजारे के लिए पहले की तरह कोका के बेटे कांजी को जीक़ाअदा 1087 के शुरु से बहाल किया जाता है और यह उसे मिलना चाहिएं। तीन टन्का पहले से तै था अब वह नहीं है इसलिए दैनिक दिया जाए ताकि वह अपने लिए खर्च करे और हमारी हुकूमत के हमेशा कायम रहने की दुआ करे।"

(इस फ़रमान पर मुख्तार खां बन्दए औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर बादशाह की मोहर है)

## छटा फ़रमान

چوں حقیقت استحقاق مرارزناردار کوکا بردار کلاں مومی الیہ معلوم شد کہ از مدت پنجاہ سال مبلغ پنجاہ دام کہ یک ٹنکا ہر سال از حاصل چبوترہ کوتوالی بخدمت بندگان اعلا حضرت یافتہ بنابریں ایں چند کلمہ بنام متصدیان چبوترہ کوتوالی قصبہ مذکور نوشتہ شد کہ موافق دستور قانون قدیم بہ تفصیل ذیل رسانیدہ کہ صرف مایحتاج خودنمودہ بدعا گوئی دوام دولت ابد پیوند بندگان اعلیٰ حضرت می نمایند۔ تحریر فی وتاریخ غرہ شہر جمادی الثانی ۸ رسن جلوس مبارک

"मुरार जन्नादार और उसके बड़े भाई कोका की प्रार्थना से मालूम हुआ कि वह पचास साल की मुददत से पचास दाम अर्थात एक टन्का सालाना चबूतरा कोतवाली की आमदनी से आलीजाह की सेवा के बदले में पा रहे हैं इसलिए ये पांक्तियां चबूतरा कोतवाली के क़ब्ज़ा करने वाले अफ़सरों के लिए लिखी जा रही हैं कि प्राचीन कानून के क़ायदे के अनुसार उपरोक्त व्यक्ति को वह रकम पहुंचती रहे कि अल्लाह के बन्दे आलीजाह की हुकूमत के कायम रहने के लिए दुआ करें

(यह फ़रमान जमादिस्सानी सन 8 जलूस को लिखा गया)

# मन्दिरों की संरक्षरता

به مہر رفعت اقبال پناہ تہوارا جلال دستگاہ مرزا محمد امین بیگ فوج دار رفعت وایالت پنا بنیاد بیگ امین۔

نیابت ونجابت پناہ مبارک حسین واقعہ نگار از قرار تاریخ ۵ر جمادی الاول ۱۰۸۵ھ شرح آنکہ چوں ارجن مل و جماعت جنگماں ساکناں بلدۂ محمد آباد عرف بنارس بہ حضور مقدس معلی رفتہ پروانہ حسب الحکم والا بہ مہر اقبال وافاضت پناہ شریعت وکمالات دستگاہ اقضی القضاۃ قاضی عبدالوہاب آورند بایں مضمون کہ متصدیان ہمات (حماۃ؟) بلدۂ بنارس محمد آباد بدانند کہ چوں دریں والا ارجن مل و جماعت جنگماں بدرگاہ خلایق پناہ آمدہ بوساطت اسنادہائے حواشی بساط خلافت وجہاں داری بعرض اشرف اقدس رسانند کہ رافع پنج محل منزل حویلی بر یکے مغلوبہ الحدود ملک خود جنگم باڑی دارد وقابض ومتصرف است دریں ولد متصدیان بیت المال آنجا بگفتۂ معانداں ضبط نمودہ کرایہ آں منازل را بہ جبر از رافع می گیرند چنانچہ مبلغ صما (۵۰۰) از رافع گرفتہ اند وایں معنی باعث سرگرانی وپریشانی رافع گردیدہ حکم والاشرف صدور یافت کہ نزد ایں خادم شرع بغرستد لہذا از حسب الحکم الاعلی نگارش می باید کہ ہرچہ از وجہ کرایہ از رافع گرفتہ باشد واپس بدہند وحویلی ہائے مذکور را بدستور سابق ہرافع واگذارند، وہیچ وجہ متعرض ومزاحم حال رافع نشوند کہ بجائے ومقام خود آباد بودہ باشد۔ بنابراں مابعد ہرکدام کہ بہ مضمون پروانہ مطلع شد، مقرر نمودیم کہ متصدیان بیت المال مطابق پروانہ مزبور عمل نمودہ مبلغ پانصد روپیہ بابت کرایہ حویلی ہائے مذکور کہ در سرکار ضبط شد بہ ارجن مل مذکور دہند ومزاحم ہائے مذکور من بعد ہیچ وجہ نشوند کہ بجائے خود آباد بودہ بدعائے دوام ابد پیوند اشتغال داشتہ باشد۔

تحریر فی تاریخ صدر۔ مہر نور اللہ مفتی مہر شاہ عالمگیر

आलमगीर औरगंज़ेब के शासनकाल में बनारस के जंगम बाडी मठ की पांच हवेलियां अधिग्रहित कर ली गयी। मठ का सन्यासी औरंगजेब के दरबार में उपास्थित हुआ और पांचों हवेलियों के अधिग्रहित किऐ जाने के संबंध में शिकायत की और उनकी



वापसी की प्रार्थना की।

इस संबंध में औरंगज़ेब आलमगीर ने यह फरमान पारित किया......

अनुवाद:...... मुबारक हुसैन लेखाकार की मुहुर दिनांक पांच जमादिल अव्वल 1085 हिजरी से यह स्पस्ट है कि अर्जुनमल और जंगमां की एक जमाअत जो कि ग्राम मुहम्मद आबाद उर्फ बनारस की निवासी है मेरे समक्ष उपास्थित हुई और वह शाही आदेश से एक पत्र लाए जिस पर काज़ी अब्दुल वहाब की मुहुर थी। उसमें यह लिखा था कि ग्राम बनारस मुहम्मद आबाद के प्रबन्धकों को मालूम हो कि अर्जुनमल और जंगमां की एक जमाअत दरबार में आयी और पीड़ितों व असहाय लोगों की पंकिते में खड़े होकर यह प्रार्थना की कि वे जंग बाड़ी की पांच हवेलियों के जिनकी सीमाएं मालूम हैं स्वामी व मालिक हैं। इन दिनों बैतुलमाल के प्रबन्धकों ने उनके दुश्मनों के कहने पर उनको अपने आधिकार में ले लिया है और उनका किराया पांच सौ रुपया प्राप्त कर लिया है जिसके कारण वे परेशान व पीड़ित हैं।

शहंशाह के आदेश से यह विवाद इस शरअ के सेवक के पास भेजा गया। इस लिए शाही आदेशनुसार जो किराया लिया गया है वह वापस किया जाए और उपरोक्त हवेलियां पहले की तरह उनके मालिको के हवाले की जाऐ और वादी से किसी प्रकार की पूछताछ या वार्त्ता न की जाएं ताकि वे अपनी जगह आबाद रहें। अत : जो कोई भी इस फरमान के विषय से परिचित हो उसे और बैतुलमाल के प्रबन्धकों को आदेश दिया जाता है कि इस फरमान पर अमल करें और उल्लिखित हवेली को जब्त करके जो पांच सौ रुपए लिए गए हैं वे अर्जुनमल को वापस किए जाएं और उल्लिखित हवेली में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें ताकि वादी

व प्रार्थनाकर्त्ता इनमें आबाद होकर शहंशाह के जीवन के लिए दुआएं करें। आमीन

फ़रमान पारित होने की तिथि.....मुहुर सहित नूरुल्लाह मुफ़ती।

मुहुर शाह आलमगीर



# (आखिरी बात)

## समापन

पुस्तक के समापन पर रायपुर से प्रकाशित नव भारत टाइम्स में औरंगज़ेब के बारे में 22/अक्टूबर 1992 को छपा एक समाचार प्रस्तुत किया जा रहा है जो औरंगज़ेब के व्यकितत्व पर लगे लांछन व आरोपों को दूर करने में सहायक होगा.....

"हिन्दू जोगियों की सेवा में भी औरंगज़ेब जैसा कट्टर अक़ीदा रखने वाला मुसलमान बड़ी आस्था के साथ उपस्थित होता था। एक जोगी से मुलाकात का वर्णन "वाकिआते आलमगीरी" में मौजूद है..... चित्रकूट राम कथा से जुड़ा हुआ दूसरा महत्व पूर्ण स्थान चित्रकूट के बाला जी मन्दिर के बारे में उनके स्थानीय लोग गर्व के साथ यह बताते हैं कि उसे औरंगजेब ने बनवाया था और उसकी उचित देख रेख के लिए बहुत सी भूमि उपलब्ध करायी थी। इस मन्दिर में 65 सालों से आने वाले एक बुजुर्ग नें बताया ..... "जाओ उन अयोध्या में झगड़ा करने वालों को बताओ कि हमारे ठाकुर जी औरंगजेब के बनाए हुए मन्दिर में रहते हैं और यहां किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है।"

इस तथ्य की एतिहासिक दस्तावेज उपलब्धा है कि औरंगजेब ने मन्दिर के खर्च के लिए 330 बीधा भुमि की व्यवस्था की। 16/जून 1691 ई. के दस्तावेज में उन आठ गांवों के नाम भी दिऐ हैं जिनका लगान भी इस मन्दिर को मिलता था।"

فرمان اورنگ زیب بادشاہ غازی

بنام

پیڈنایک راجہ شوراپور گلبرگہ

H 26953430

WWW.SHAHWALIULLAH.IN

shahwaliullah_institute@yahoo.in